नियत की जाती है।

123

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि विवादित आराजी ख.न. 60, 616/61, 617/61 किता 3 कुल रकबा 0.66 है. अवस्थित ग्राम सेडू का बास पटवार हल्का मांकड़ी तहसील नीमकाथाना पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी का विभाजन का वाद न्यायालय में अभी विचाराधीन है। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामील के पूर्व से ही अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्र्फम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 02.12.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्र्फम किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीकर)